मुख्यालय
कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(आईएसओ 9001–2008 प्रमाणित)
पंचदीप भवन, सीआईजी मार्ग, नई दिल्ली–110002

सं.ई–13/12/20/2016–ज.सं. दिनांकः 22 दिसम्बर, 2016

प्रेस विज्ञप्ति

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा वाराणसी में 150 शैय्या युक्त ईएसआईसी सुपर स्पेशिएलिटी अस्पताल का षिलान्यास

आज वाराणसी में दिनांक 22 दिसम्बर, 2016 को 150 बिस्तरों वाले अस्पताल का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के कर कमलों द्वारा किया गया । माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने कहा कि यह अस्पताल श्रमिको एंव कामगारों के स्वास्थय के लिए अत्याधुनिक सुविधाए प्रदान करेगा ।

इसके अतिरिक्त माननीय प्रधानमंत्री जी ने ईएसआईसी के स्वास्थय सुधार कार्यक्रम ESIC-2.0 पर लगाई गई प्रदर्शनी के अवलोकन के दौरान ईएसआईसी द्वारा किए जा रहे सुधार कार्यक्रम जैसे इलेक्ट्रानिक हेल्थ रिकार्ड, सप्ताह के प्रत्येक दिन बैड की चादर बदलना, चिकित्सा हेल्पलाइन, टेलीमेडिसिन सुविधाए इत्यादि के बारे में अधिकारियों से जानकारी ली ।

इस सुअवसर पर अन्य अतिथिगणों में डॉ. महेन्द्र नाथ पाण्डे, माननीय मानव संसाधन विकास राज्यमंत्री, भारत सरकार, श्री ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी, माननीय खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार, श्री राम चरित्र निषाद, माननीय सांसद, लोकसभा, श्रीमती एम. सत्यावती (भा.प्र.से.), सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार तथा श्री दीपक कुमार (भा.प्र.से.), महानिदेशक, क.रा.बी. निगम भी उपस्थित थे।

150 बिस्तरों वाले ईएसआईसी सुपर स्पेशिएलिटी अस्पताल, वाराणसी

वर्तमान में, वाराणसी में एक 60 बिस्तरों वाला अस्पताल है, जिसका संचालन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। यह लगभग 5 एकड़ के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। अब, क.रा.बी. निगम ने ईएसआईसी अस्पताल, वाराणसी में बिस्तरों की मौजूदा संख्या 60 को बढ़ाकर 150 करने का निर्णय लिया है, इनमें से 50 बिस्तर सुपर स्पेशिएलिटी उपचार के लिए होंगे।

150 बिस्तरों वाला यह सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल, ई.एस.आई. योजना के लाभार्थियों के लिए एक और सुखद पहल होगी। यह अस्पताल वाराणसी और आस–पास के इलाकों के ईएसआई योजना के बीमित लोगों और उनके परिवार के सदस्यों की स्वास्थ्य देखभाल की दिशा में एक अहम कदम साबित होगा। 5 एकड के विशाल क्षेत्र में लगभग 150 करोड़ रुपये की लागत से तैयार होने वाले इस अस्पताल में ऑर्थोपेडिक्स, गाइनेकॉलाजी, जनरल सर्जरी, कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, फिजियोथैरेपी, नेफ्रालॉजी, ई.एन.टी., ब्लड बैंक एंव ओपीडी सुविधाओं इत्यादि और 24 घंटे आपातकालीन सेवाओं उपलब्ध होगी। कर्मचारी राज्य बीमा निगम, कर्मचारियों के कल्याण के लिए दृढ़ संकल्पित है।

जनवरी, 2017 के अंत तक इस अस्पताल में नवीनीकरण कार्य तथा नये सुपर स्पेशिएलिटी ब्लॉक का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जायेगा और अगस्त, 2018 तक निर्माण कार्य पूर्ण होने की उम्मीद है। इसमें मौजूदा अस्पताल के

नवीनीकरण एवं उन्नयन के साथ ही चिकित्सकों एवं सहायक कर्मचारियों के आवास सहित नये सुपर स्पेशिएलिटी ब्लॉक का निर्माण भी शामिल है।

उत्तर प्रदेश में कर्मचारी राज्य बीमा योजना

भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 24 फरवरी, 1952 को कानपुर में क.रा.बी. योजना का शुभारंभ किया था और यह योजना दिल्ली एवं कानपुर में एक साथ कार्यान्वित की गई। वर्तमान में, उत्तर प्रदेश में क.रा.बी. योजना का प्रशासनिक प्रबंधन कानपुर में एक क्षेत्रीय कार्यालय, नोएडा, लखनऊ एवं वाराणसी में 03 उप–क्षेत्रीय कार्यालयों और पूरे राज्य में फैले 37 शाखा कार्यालयों के माध्यम से किया जाता है। वर्तमान में, क.रा.बी. निगम 49,002 प्रतिष्ठानों में नियोजित 14.2 लाख कामगारों (बीमाकृत व्यक्तियों) और लगभग 51.22 लाख लाभार्थियों को अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है।

उत्तर प्रदेश में चिकित्सा अवसंरचना

योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में चिकित्सा देखरेख की निगरानी वरिष्ठ राज्य चिकित्सा आयुक्त के समन्वयन के साथ निदेशालय, क.रा.बी. योजना द्वारा की जाती है। उत्तर प्रदेश में योजना के अंतर्गत प्राथमिक उपचार के लिए कुल 116 क.रा.बी. औषधालय हैं जिसमें 94 क.रा.बी. औषधालय (एलोपैथिक), 11 क.रा.बी. होमियोपैथी औषधालय और 11 क.रा.बी. आयुर्वेदिक औषधालय शामिल हैं। द्वितीयक उपचार के लिए, राज्य सरकार के अधीन 15 क.रा.बी. अस्पताल और नोएडा में एक क.रा.बी.नि. अस्पताल है।

- रोगियों को रेफर करना (द्वितीयक उपचार के लिए) : बीमा चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा अधीक्षक और मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा द्वितीयक उपचार के लिए रोगी को राज्य/अन्य अस्पताल में रेफर किया जाता है और राज्य चिकित्सा आयुक्त द्वारा परिक्रामी निधि से भुगतान किया जाता है।

- अति विशिष्टता उपचार : क.रा.बी. लाभार्थियों को अति विशिष्टता उपचार प्रदान करने के लिए 44 निजी चिकित्सा संस्थानों और एक नैदानिक केन्द्र के साथ आपसी समझौता किया गया है।

भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना

कर्मचारी राज्य बीमा निगम कर्मचारियों को रोजगार के दौरान लगी चोट, बीमारी, मृत्यु, अपंगता आदि जैसे हालातों में नकद हितलाभ तथा उचित चिकित्सा सुविधा जैसी व्यापक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने वाला एक अग्रणी सामाजिक सुरक्षा संगठन है। क.रा.बी. योजना उन कारखानों एवं अन्य प्रतिष्ठानों में लागू है, जहाँ 10 या उससे अधिक व्यक्ति नियोजित हैं। उपयुक्त श्रेणियों के कारखानों और प्रतिष्ठानों के कर्मचारी जो रु. 15000/– तक प्रतिमाह वेतन प्राप्त कर रहे हैं, वे क.रा.बी. अधिनियम के अंतर्गत स्वास्थ्य बीमा व्याप्ति एवं अन्य हितलाभ पाने के हकदार हैं। अब, पूरे देश के 7.83 लाख कारखानों एवं प्रतिष्ठानों में यह अधिनियम लागू होता है, जिससे कामगारों के लगभग 2.13 करोड़ परिवार एककों को हितलाभ मिल रहे हैं। परिमाणस्वरूप अब, क.रा.बी. योजना के कुल लाभार्थियों की संख्या बढ़कर 8.28 करोड़ से अधिक हो गई है। सन् 1952 में अपनी शुरूआत से, कर्मचारी राज्य बीमा निगम अब तक 151 अस्पतालों, 1467/159 औषधालयों/आईएसएम एककों, 812 शाखाओं/भुगतान कार्यालयों एवं 62 क्षेत्रीय एवं उप–क्षेत्रीय/प्रभागीय कार्यालयों की स्थापना कर चुका है।

.....